उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3
संख्या-558/2025/545के-2/22-3-25-17(775)/2023
लखनऊ: दिनांक: 04 दिसम्बर, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महावीर सिंह (बन्दी संख्या-17196) पुत्र श्री गोपीचन्द्र, निवासी ग्राम-गढ़ उमराव, तहसील व थाना-सादाबाद, जनपद-हाथरस, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-239/1982 में भा0द0वि0 की धारा-302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, मथुरा के दण्डादेश दिनांक 26.07.1983 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 17.02.2012 द्वारा निर्णीत करते हुए दोषमुक्त किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 20.10.2016 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय की सजा को यथावत रखा गया, की दिनांक 25.10.2022 तक आयु 79 वर्ष, 07 माह होने, संतोषजनक जेल आचरण होने तथा दिनांक 25.10.2022 तक 07 वर्ष 01 माह 06 दिन की अपरिहार सजा एवं 08 वर्ष 02 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगने के दृष्टिगत शेष सजा को परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस।
5- पुलिस अधीक्षक, हाथरस।
6- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in